

झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]



सत्यमेव जयते

2020

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2019-20 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 1216,91,83,848 (एक हजार दो सौ सोलह करोड़ एकानबे लाख तिरासी हजार आठ सौ अड़तालीस) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
 - (iii) यह 1ली अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2019-20 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 1216,91,83,848 (एक हजार दो सौ सोलह करोड़ एकानबे लाख तिरासी हजार आठ सौ अड़तालीस) रुपये की निकासी ।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2019 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 1216,91,83,848 (एक हजार दो सौ सोलह करोड़ एकानबे लाख तिरासी हजार आठ सौ अड़तालीस) रुपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियाँ से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियाँ 1ली अप्रैल, 2019 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2020 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग वा विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशिवां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संघित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
01	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Agriculture Division)	राजस्व/Revenue	85,12,94,000		85,12,94,000
		पूंजी/Capital			
02	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Animal Husbandry Division)	राजस्व/Revenue	10,00,000		10,00,000
		पूंजी/Capital			
03	भवन निर्माण विभाग Building Construction Department	राजस्व/Revenue			300000000
		पूंजी/Capital	30,00,00,000		
04	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co-ordination Division)	राजस्व/Revenue	4,85,00,000		4,85,00,000
		पूंजी/Capital			
06	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग Cabinet (Election) Department	राजस्व/Revenue	27,92,000		27,92,000
		पूंजी/Capital			
07	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Vigilance Division)	राजस्व/Revenue	1,52,00,000		1,52,00,000
		पूंजी/Capital			
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	12,00,000		12,00,000
		पूंजी/Capital			
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग Excise and Prohibition Department	राजस्व/Revenue	5,00,000		2,78,67,000
		पूंजी/Capital	2,73,67,000		
12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) Planning-cum-Finance Department (Finance Division)	राजस्व/Revenue	1,15,70,000		1,16,70,000
		पूंजी/Capital	1,00,000		
14	ऋण की वापसी/अदायगी Repayment of Loans	राजस्व/Revenue			770000000
		पूंजी/Capital		77,00,00,000	

15	पेंशन Pension	राजस्व/Revenue	50,00,00,000		50,00,00,000
		पूंजी/Capital			
17	वाणिज्यिक विभाग Commercial Tax Department	राजस्व/Revenue	16,00,000		16,00,000
		पूंजी/Capital			
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	2,50,000		2,50,000
		पूंजी/Capital			
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग Forest, Environment and Climate Change Department	राजस्व/Revenue	21,00,00,000		21,00,00,000
		पूंजी/Capital			
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	14,37,24,000		47,71,24,000
		पूंजी/Capital	33,34,00,000		
21	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Education Division)	राजस्व/Revenue	131,13,76,000		131,13,76,000
		पूंजी/Capital			
22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	राजस्व/Revenue	141,12,70,000		141,12,70,000
		पूंजी/Capital			
23	उद्योग विभाग Industries Department	राजस्व/Revenue	9,64,29,000		9,64,29,000
		पूंजी/Capital			
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग Information and Public Relation Department	राजस्व/Revenue	1,65,00,000		1,65,00,000
		पूंजी/Capital			
26	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग Labour Employment and Training Department	राजस्व/Revenue	53,77,000		53,77,000
		पूंजी/Capital			
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	8,34,00,000		8,34,00,000
		पूंजी/Capital			
28	झारखण्ड उच्च न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue	30,00,000		30,00,000
		पूंजी/Capital			
29	खान एवं भूतत्व विभाग Mines and Geology Department	राजस्व/Revenue	15,00,000		15,00,000
		पूंजी/Capital			
32	विधान सभा Legislative Assembly	राजस्व/Revenue	1,00,60,000	2,00,000	1,02,60,000
		पूंजी/Capital			
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	1,68,64,000		1,68,64,000
		पूंजी/Capital			

38	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	4,04,15,000		4,04,15,000
	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Registration Division)	पूंजी/Capital			
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	81,80,000		81,80,000
	Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	पूंजी/Capital			
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	राजस्व/Revenue	27,94,94,600		27,94,94,600
	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	पूंजी/Capital			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व/Revenue	20,00,000		50,20,00,000
	Road Construction Department	पूंजी/Capital	50,00,00,000		
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	राजस्व/Revenue	360,82,91,500		360,82,91,500
	Rural Development Department (Rural Development Division)	पूंजी/Capital			
43	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,23,46,000		1,23,46,000
	Higher, Technical Education and Skill Development Department (Science and Technology Division)	पूंजी/Capital			
44	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	राजस्व/Revenue	1,50,000		1,50,000
	School Education and Literacy Department	पूंजी/Capital			
46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,17,000		1,17,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)	पूंजी/Capital			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व/Revenue	9,89,00,000		9,89,00,000
	Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	पूंजी/Capital			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व/Revenue	11,60,000		11,60,000
	Water Resources Department	पूंजी/Capital			

52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	11,04,000		11,04,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	पूंजी/Capital			
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डैयरी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,00,000		1,00,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Dairy Division)	पूंजी/Capital			
55	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	100,00,00,000		100,00,00,000
	Rural Development Department (Rural Works Division)	पूंजी/Capital			
56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	राजस्व/Revenue	22,00,000		22,00,000
	Rural Development Department (Panchayati Raj Division)	पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व/Revenue	21,04,18,000		21,04,18,000
	School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	राजस्व/Revenue	22,98,34,748		22,98,34,748
	School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education Division)	पूंजी/Capital			
योग /Total		राजस्व/Revenue	1023,51,16,848	32,00,000	1023,83,16,848
		पूंजी/Capital	116,08,67,000	77,00,00,000	193,08,67,000
महायोग / Grand Total			1139,59,83,848	77,32,00,000	1216,91,83,848

यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020 दिनांक 02 मार्च, 2020 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 02 मार्च 2020 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष ।